

न्यायालय कलेक्टर, जिला-मुरैना, (मोप्र०)

प्र०क्र० 01/2013-2014/अ-३/कलेक्टर

(137)

(220)

(आदेश पारित दिनांक 27.10.2014)

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 11-1/2010/सात/शा.6 दिनांक 08.07.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्रमांक ए.0969 के अनुक्रम में मजरे, टोलों को राजस्व ग्राम घोषित करने वाले निर्देश प्राप्त होने पर सम्बन्धित तहसीलदारों से प्रस्ताव प्राप्त किये गये।

2. तत्सम्बन्ध में ग्राम केमाराकंला पटवारी हल्का क्रमांक 02 तहसील सबलगढ़ के विभक्तिकरण के सम्बन्ध में तहसीलदार सबलगढ़ द्वारा अपने प्रक्र. 193/2012-13/बी-121 द्वारा प्रस्ताव अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ के माध्यम से प्रेषित किया गया जो प्रकरण के संलग्न है।

तहसीलदार, सबलगढ़ के उक्त प्रतिवेदन से सहमत होते हुये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ ने अपने प्रकरण क्रमांक 37/2012-13/बी-121 द्वारा ग्राम केमाराकंला के मजरा राधने राजस्व ग्राम घोषित किये जाने की अनुशंसा की गई है। प्रकरण में अधीक्षक, भू-अभिलेख मुरैना से भी अभिमत प्रतिवेदन प्राप्त किया गया जो प्रकरण के संलग्न है।

3. तहसीलदार, सबलगढ़ द्वारा मुतादिक पटवारी/राजस्व निरीक्षक रिपोर्ट एवं ग्राम पंचायत केमाराकंला, जनपद पंचायत सबलगढ़ के प्रतलाइ, टहराड क्रमांक 11 दिनांक 14.04.2013 अनुसार अपने टहराड दिनांक 04.01.2014 द्वारा ग्राम केमाराकंला के मजरा राधने जा सूची भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-73 के अंतर्गत निम्नानुसार राजस्व ग्राम बनाये जाना प्रत्यावित किया गया है।

क्र.	प्रस्तावित मजरे टोले का नाम जिसे राजस्व ग्राम घोषित किया जाना है।	जनसंख्या	रक्का हेक्टेयर में	दूसी मूल धारा से कि.मी. में	समिलित मजरे/टोलों का नाम
1	2	3	4	5	6
1	राधने	६१	९९५.७९१	५।५५ लि	झीरायड़, वडीरायड़ टपरा
2	केमाराकंला (मूलग्राम)	१७५५	५५४२.२०९	-	-

तहसीलदार द्वारा अपने प्रतिवेदन में यह भी उल्लिखित किया गया है कि ग्राम केमाराकंला के मजरा राधने को राजस्व ग्राम बनाये जाने के फलस्वरूप ग्राम का क्षेत्रफल 200 एकड़ से कम नहीं होगा।

4. तहसीलदार सबलगढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ तथा अधीक्षक, भू-अभिलेख मुरैना के प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन अनुसार इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11.07.2014 को ग्राम केमाराकंला के विभाजन के सम्बन्ध में दावे/आवश्यकता आमंत्रित करते हुये उद्घोषणा जारी की गई। निर्धारित समयावधि में सम्भवान्वयों की ओर कोई दावे/आवश्यकता प्राप्त नहीं हुये।

ये द्वारा प्रकरण का अदलोकन किया गया रखने अधीनरथ राजस्व अधिकारी तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ तथा अधीक्षक भू-अभिलेख मुरैना की ओर से प्राप्त प्रतिवेदनों का भली-गौती परिशीलन किया गया। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता उल्लिखित किया गया है) की धारा-73 में यह प्रावधान है कि बन्दोबस्तु अधिकारी किसी एक ग्राम को दो या दो से अधिक ग्राम गठित करने के प्रयोजन से धिनाजित कर सकेगा या दो या दो रा अधिक ग्रामों को एक ग्राम साथ ही संहिता की धारा-90 में उल्लिखित किया गया है कि भू-राजस्व संहिता (बन्दोबस्तु) समाप्त हो जाने धारा 90(अ) में उल्लेख है कि मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 22.01.1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 273-सी-आर-795-सात-ना(नियम) 08.01.1960 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत बन्दोबस्तु की अवधि के दौरान कलेक्टर धारा-73 के अधीन बन्दोबस्तु अधिकारी की शक्तियों को प्रयोग में लायेगा।

MAJARA TOLA

(31-10-2014)
10/11

(136) (85) (85)

अतः अधीनरथ राजरथ अधिकारी, तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ के प्रतिवेदन एवं ग्राम पंचायत केमाराकंला जनपद पंचायत सबलगढ के प्रस्ताव/ठहराव के आधार पर जनहित एवं प्रशासनिक कार्यसुविधा की दृष्टि से मैं श्रीमती शिल्पा गुप्ता कलेक्टर जिला मुरैना, भू-राजरथ संहिता की धारा-90 तथा 90(आ) के तहत संहिता की धारा-73 के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी की शक्तियों को प्रयोग करते हुए ग्राम केमाराकंला पटवारी हल्का क्र. 02 सबलगढ को विभाजित करते हुये मजरा राधेन को स्वतंत्र राजस्व ग्राम घोषित करती हूँ।

नये राजरथ ग्राम राधेन ने गृह राजरथ ग्राम केमाराकंला को पटवारी हल्का नं. एवं ग्राम का क्षेत्रफल निम्नानुसार रहेगा--

क्र.	घोषित ग्राम	ग्राम में संमिलित मजरा	पटवारी हल्का	क्षेत्रफल (एकर्टयर में)
				क्रमांक
1	राधेन	छोटीरायडी, तडीरायडी टपरा	02	995.791
2	केमाराकंला (मूलग्राम)		02	5542.209

अधीक्षक, भू-अभिलेख मुरैना को निर्देशित किया जाता है कि नवगठित राजस्व ग्राम तथा नूल ग्राम के सर्वे क्रमांक के पुनर्क्रमांकन हेतु तथा पृथक-पृथक नवीन अधिकार अभिलेख (ROR) एवं नक्शा निर्माण के लिये आवश्यक वैधानिक कार्यवाही को जावे। म.प्र. शासन, राजरथ विभाग को आवश्यक प्रस्ताव प्रेपित किया जावे।

(श्रीमती शिल्पा गुप्ता)
कलेक्टर,
जिला मुरैना, (मोप्र०)

पृ.क्र० 01/2013-2014/अ-३/कलेक्टर/47 ७३५१/२
01.11.2014 ०५-११-१५

मुरैना, दिनांक 27.10.14

प्रतिलिपि:-

- सचिव, म.प्र.शासन, राजरथ विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
- आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, म.प्र. ग्वालियर।
- उपायुक्त, भू-अभिलेख, ग्वालियर क्षेत्र की ओर सूचनार्थ।
- प्रभारी अधिकारी, नजूल/भू-प्रवन्धन/आर.ए./आर.एम. कलेक्ट्रेट मुरैना/अधीक्षक, भू-अभिलेख मुरैना
- अनुविभागीय अधिकारी (राजरथ) सबलगढ की ओर रूचनार्थ।
- तहसीलदार, सबलगढ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(कलेक्टर,
जिला मुरैना, (मोप्र०))



न्यायालय कलेक्टर, जिला—मुरैगा, (मोप्र०)

मोप्र० 02/2013-2014/अ-3/कले.कोर्ट/1657
← 1387

(13)

2000

852

(आदेश पारित दिनांक 11.08.2015)

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय बलभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 11-1/2010/सात/शा.6 दिनांक 08.07.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्रमांक ए.0969 के अनुक्रम में मजरे, टोलों को राजस्व ग्राम घोषित करने बावत् निर्देश प्राप्त होने पर सम्बन्धित तहसीलदारों से प्रस्ताव प्राप्त किये गये।

2. तत्सम्बन्ध में ग्राम नोरावली खेरोन पटवारी हल्का क्रमांक 17 तहसील सबलगढ़ के विभक्तिकरण के सम्बन्ध में तहसीलदार सबलगढ़ द्वारा अपने प्र.क्र. 191/2012-13/बी-121 द्वारा प्रस्ताव अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ के भाध्यम से प्रेषित किया गया जो प्रकरण के संलग्न है।

तहसीलदार, सबलगढ़ के उक्त प्रतिवेदन से सहमत होते हुये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ ने अपने प्रकरण क्रमांक 95/2012-13/बी-121 द्वारा ग्राम नोरावली खेरोन के मजरा गुर्जा राजस्व ग्राम घोषित किये जाने की अनुशंसा की गई है। प्रकरण में अधीक्षक, भू-अभिलेख मुरैना से भी अनिमत प्रतिवेदन प्राप्त किया गया, जो प्रकरण के संलग्न है।

3. तहसीलदार, सबलगढ़ द्वारा मुताविक पटवारी/राजस्व निरीक्षक रिपोर्ट एवं ग्राम पंचायत नोरावली खेरोन, जनपद पंचायत सबलगढ़ के प्रस्ताव/ठहराव क्रमांक 07 दिनांक 02.10.2013 अनुसार अपने प्रतिवेदन दिनांक 04.01.2014 द्वारा ग्राम नोरावली खेरोन के मजरा गुर्जा को मोप्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-73 के अंतर्गत निम्नानुसार राजस्व ग्राम बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है।

क्र.	प्रस्तावित मजरे टोले का नाम जिसे राजस्व ग्राम घोषित किया जाना है।	जनसंख्या	रकवा हेक्टेयर में	दूरी मूल ग्राम से कि.मी. में	सम्मिलित मजरे/टोले का नाम
1	2	3	4	5	6
1	गुर्जा	425	549.72	4 कि.मी	कोलिया, नीमन का पुरा
2	नोरावली खेरोन (मूलग्राम)	1144	1675.28	-	-

तहसीलदार सबलगढ़ द्वारा अपने प्रतिवेदन में यह भी उल्लिखित किया गया है कि ग्राम नोरावली खेरोन के मजरा गुर्जा को राजस्व ग्राम बनाये जाने के फलस्वरूप ग्राम का क्षेत्रफल 200 एकड़ से कम नहीं होगा।

4. तहसीलदार सबलगढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ तथा अधीक्षक, भू-अभिलेख मुरैना के प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन अनुसार इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11.07.2014 को ग्राम नोरावली खेरोन के विभाजन के सम्बन्ध में दावे/आपत्ति आमंत्रित करते हुये उद्घोषणा जारी की गई। निर्धारित समयावधि में ग्रामवासियों की ओर कोई दावे/आपत्ति प्राप्त नहीं हुये।

5. मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया एवं अधीनस्थ राजस्व अधिकारी तहसीलदार सबलगढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ तथा अधीक्षक, भू-अभिलेख मुरैना की ओर से प्राप्त प्रतिवेदनों का भली-भाँति परिशीलन किया गया। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता 73 का उल्लिखित किया गया है) की धारा-73 में यह प्रावधान है कि बन्दोवस्त अधिकारी किसी एक ग्राम को दो या दो से अधिक ग्राम गठित करने के प्रयोजन से विभाजित कर सकेगा या दो या दो से अधिक ग्रामों को एक ग्राम गठित करने के प्रयोजन से सम्मिलित कर सकेगा या किसी ग्राम का सीमाओं को परिवर्तित कर सकेगा। साथ ही संहिता की धारा-90 में प्रावधान किया गया है कि राजस्व सर्वेक्षण (बन्दोवस्त) कर सकेगा। साथ ही संहिता की धारा-73 के अधीन बन्दोवस्त अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग समाप्त हो जाने के पश्चात् कलेक्टर धारा-73 के अधीन बन्दोवस्त अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करेगा। संहिता की धारा 90(अ) में उल्लेख है कि मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 22.01.1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 273-सं०-आर-795-सात-ना(नियम) 08.01.1960 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत बन्दोवस्त की अवधि के दौरान कलेक्टर धारा-73 के अधीन बन्दोवस्त अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग में

लायेगा।

110
111
112

अतः अधीनस्थ राजस्व अधिकारी, तहसीलदार सबलगढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ के प्रतिवेदन एवं ग्राम पंचायत नोरावली खेरोन जनपद पंचायत सबलगढ़ के प्रस्ताव/ठहराव के आधार पर जनहित एवं प्रशासनिक कार्यसुविधा की दृष्टि से मैं श्रीमती शिल्पा गुप्ता कलेक्टर जिला मुरैना, भू-राजस्व संहिता की धारा-90 तथा 90(अ) के तहत संहिता की धारा-73 के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी की शवितयों को प्रयोग करते हुए ग्राम नोरावली खेरोन पटवारी हल्का क्र. 17 सबलगढ़ को विभाजित करते हुये भजरा गुर्जा को स्वतंत्र राजस्व ग्राम घोषित करती हूँ।

नये राजस्व ग्राम गुर्जा व मूल राजस्व ग्राम नोरावली खेरोन के पटवारी हल्का नं. एवं ग्राम का क्षेत्रफल निम्नानुसार रहेगा:-

क्र.	घोषित ग्राम	ग्राम में सम्मिलित मजरा	पटवारी हल्का क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	गुर्जा	कोलिया, नीमन का पुरा	17	549.72
2	नोरावलीखेरोन (मूलग्राम)	-	17	1875.28

अधीक्षक, भू-अभिलेख मुरैना को निर्देशित किया जाता है कि नवगठित राजस्व ग्राम तथा मूल ग्राम के सर्वे क्रमांक के पुनर्क्रमांकन हेतु तथा पृथक-पृथक नवीन अधिकार अभिलेख (ROR) एवं नवशा निर्माण के लिये आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जावे। म.प्र. शासन, राजस्व विभाग को आवश्यक प्रस्ताव प्रेषित किया जावे।



(श्रीमती शिल्पा गुप्ता)
कलेक्टर,
जिला मुरैना, (म0प्र0)

मुरैना, दिनांक 11.08.2015
T4-82015

पृ.क्र0 02/2013-2014/अ-3/कले.कोर्ट/1655

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, न.प्र.शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
2. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, म.प्र. ग्वालियर।
3. उपायुक्त, भू-अभिलेख, ग्वालियर क्षेत्र की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी अधिकारी, नजूल/भू-प्रबन्धन/आर.ए./आर.एम. कलेक्ट्रेट मुरैना।
5. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ की ओर सूचनार्थ।
6. तहसीलदार, सबलगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(राजस्व कलेक्टर,
जिला मुरैना, (म0प्र0))

कलेक्टर
जिला मुरैना (म0प्र0)

न्यायालय कलेक्टर, जिला-मुरैना, (मोप्र०)

प्र०क्र० 03/2013-2014/अ-३/कले.कोर्ट/1656
14.815

(आदेश पारित दिनांक 11.08.2015)

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 11-१/2010/सात/शा.६ दिनांक 08.07.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्रमांक ए.०९६७ के अनुक्रम में मजरे, टोलों को राजस्व ग्राम घोषित करने वाले निर्देश प्राप्त होने पर सम्बन्धित तहसीलदारों से प्रस्ताव प्राप्त किये गये।

2. तत्सम्बन्ध में ग्राम केमाराखुर्द पटवारी हल्का क्रमांक 03 तहसील सबलगढ़ के विभक्तिकरण के साथमें तहसीलदार सबलगढ़ द्वारा अपने प्र.क्र. 192/2012-13/बी-121 द्वारा प्रस्ताव अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ के माध्यम से प्रेषित किया गया जो प्रकरण के संलग्न है।

तहसीलदार, सबलगढ़ के उक्त प्रतिवेदन से सहमत होते हुये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ ने अपने प्रकरण क्रमांक 36/2012-13/बी-121 द्वारा ग्राम केमाराखुर्द के मजरा टाटूपुरा राजस्व ग्राम घोषित किये जाने की अनुशंसा की गई है। प्रकरण में अधीक्षक, भू-अभिलेख मुरैना से भी अग्रिमत प्रतिवेदन प्राप्त किया गया, जो प्रकरण के संलग्न है।

3. तहसीलदार, सबलगढ़ द्वारा मुताविक पटवारी/राजस्व निरीक्षक रिपोर्ट एवं ग्राम पंचायत केमाराखुर्द, जनपद पंचायत सबलगढ़ के प्रस्ताव/ठहराव क्रमांक 07 दिनांक 14.04.2013 अनुसार अपने प्रतिवेदन दिनांक 04.05.2013 एवं 04.01.2014 द्वारा ग्राम केमाराखुर्द के मजरा टाटूपुरा को मोप्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-73 के अंतर्गत निम्नानुसार राजस्व ग्राम बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है।

क्र.	प्रस्तावित मजरे टोले का नाम जिसे राजस्व ग्राम घोषित किया जाना है।	जनसंख्या	रकवा हेक्टेयर में	दूरी गूल ग्राम से कि.मी. में	सम्बिलित मजरे/टोलों का नाम
1	2	3	4	5	6
1	टाटूपुरा	750	399.93	5 कि.मी	—
2	केमाराखुर्द (मूलग्राम)	437	471.07	—	—

तहसीलदार द्वारा अपने प्रतिवेदन में यह भी उल्लिखित किया गया है कि ग्राम केमाराखुर्द के मजरा टाटूपुरा को राजस्व ग्राम बनाये जाने के फलस्वरूप ग्राम का क्षेत्रफल 200 एकड़ से कम नहीं होगा।

4. तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ तथा अधीक्षक, भू-अभिलेख मुरैना के प्रस्ताव इस प्रतिवेदन अनुसार इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11.07.2014 को ग्राम केमाराखुर्द के विभाजन के रायमें दावे/आपत्ति आमंत्रित करते हुये उद्घोषणा जारी की गई। निर्धारित समयावधि में ग्रामवाच्सियों की ओर कोई दावे/आपत्ति प्राप्त नहीं हुये।

5. गंते द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया एवं अधीनस्थ राजस्व अधिकारी तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ तथा अधीक्षक, भू-अभिलेख मुरैना की ओर से प्राप्त प्रतिवेदनों का भली-भाँति परिशीलन किया गया। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता उल्लिखित किया गया है) की धारा-73 में यह प्रावधान है कि बन्दोवस्त अधिकारी किसी एक ग्राम को दो या दो से अधिक ग्राम गठित करने के प्रयोजन से विभाजित कर सकेगा या दो या दो से अधिक ग्रामों को एक ग्राम गठित करने के प्रयोजन से सम्बिलित कर सकेगा या किसी ग्राम की सीमाओं को परिवर्तित कर सकेगा। साथ ही संहिता की धारा-90 में प्रावधान किया गया है कि राजस्व सर्वेक्षण (बन्दोवस्त) समाप्त हो जाने के पश्चात् कलेक्टर धारा-73 के अधीन बन्दोवस्त अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करेगा। संहिता की धारा 90(अ) में उल्लेख है कि मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 22.01.1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 273-सी-आर-795-सात-ना(नियम) 08.01.1960 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत बन्दोवस्त की अवधि के दौरान कलेक्टर धारा-73 के अधीन बन्दोवस्त अधिकारी की शक्तियों को प्रयोग में लायेगा।

11211

112
113
114

अतः अधीनरथ राजस्व अधिकारी, तहसीलदार सबलगढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ के प्रतिवेदन एवं ग्राम पंचायत केमाराखुर्द जनपद पंचायत सबलगढ़ के प्रस्ताव/ठहराव के आधार पर जनहित एवं प्रशासनिक कार्यसुविधा की दृष्टि से मैं श्रीमती शिल्पा गुप्ता कलेक्टर जिला मुरैना, भू-राजस्व संहिता की धारा-90 तथा 90(अ) के तहत संहिता की धारा-73 के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी की शक्तियों को प्रयोग करते हुए ग्राम केमाराखुर्द पटवारी हल्का क्र. 03 सबलगढ़ को विभाजित करते हुये मजरा टाटूपुरा को स्वतंत्र राजस्व ग्राम घोषित करती हूँ।

नये राजस्व ग्राम टाटूपुरा व भूल राजस्व ग्राम केमाराकला के पटवारी हल्का नं. एवं ग्राम का क्षेत्रफल निम्नानुसार रहेगा:-

क्र.	घोषित ग्राम	ग्राम में सम्मिलित मजरा	पटवारी हल्का क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	टाटूपुरा	-	03	399.93
2	केमाराखुर्द (भूलग्राम)	-	03	471.07

अधीक्षक, भू-अभिलेख मुरैना को निर्देशित किया जाता है कि नवगठित राजस्व ग्राम तथा भूल ग्राम के सर्वे क्रमांक के पुनर्क्रमांकन हेतु तथा पृथक-पृथक नवीन अधिकार अभिलेख (ROR) एवं नवशा निर्माण के लिए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जावे। म.प्र. शासन, राजस्व विभाग को आवश्यक प्रस्ताव प्रेषित किया जावे।



(श्रीमती शिल्पा गुप्ता)
कलेक्टर,
जिला मुरैना, (म०प्र०)

पृ.क्र. 03/2013-2014/अ-3/कले.कोट/1657

मुरैना, दिनांक 11.08.2014
14-8/5

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
2. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, म.प्र. ग्वालियर।
3. उपायुक्त, भू-अभिलेख, ग्वालियर क्षेत्र की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी अधिकारी, नजूल/भू-प्रबन्धन/आर.ए./आर.एम. कलेक्टर मुरैना/अधीक्षक भू-अभिलेख मुरैना।
5. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ की ओर सूचनार्थ।
6. तहसीलदार, सबलगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(कलेक्टर,
जिला मुरैना, (म०प्र०))
कलेक्टर
जिला-मुरैना (म०प्र०)

न्यायालय कलेक्टर, जिला-मुरैना, (मोप्र०)

प्र०क्र० 04 / 2013-2014 / अ-3 / कले.कोट 11658
14.8.15

(आदेश पारित दिनांक 11.08.2015)

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 11-1 / 2010 / सात / शा.6 दिनांक 08.07.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्रमांक ए.0969 के अनुक्रम में मजरे, टोलों को राजस्व ग्राम घोषित करने बावत् निर्देश प्राप्त होने पर सम्बन्धित तहसीलदारों से प्रस्ताव प्राप्त किये गये।

2. तत्सम्बन्ध में ग्राम गोदोली पटवारी हल्का क्रमांक 04 तहसील सबलगढ के विभक्तिकरण के सम्बन्ध में तहसीलदार सबलगढ द्वारा अपने प्र.क्र. 194 / 2012-13 / बी-121 द्वारा प्रस्ताव अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ के माध्यम से प्रेषित किया गया जो प्रकरण के संलग्न है।

तहसीलदार, सबलगढ के उक्त प्रतिवेदन से सहमत होते हुये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ ने अपने प्रकरण क्रमांक 34 / 2012-13 / बी-121 द्वारा ग्राम गोदोली के मजरा गोदोली धुर राजस्व ग्राम घोषित किये जाने की अनुशंसा की गई है। प्रकरण में अधीक्षक, भू-अभिलेख मुरैना से भी अभिमत प्रतिवेदन प्राप्त किया गया जो प्रकरण के संलग्न है।

3. तहसीलदार, सबलगढ द्वारा मुताबिक पटवारी/राजस्व निरीक्षक रिपोर्ट एवं ग्राम पंचायत गोदोली, जनपद पंचायत सबलगढ के प्रस्ताव/ठहराव क्रमांक 06 दिनांक 14.04.2013 अनुसार अपने प्रतिवेदन दिनांक 04.01.2014 द्वारा ग्राम गोदोली के मजरा गोदोलीधुर को मोप्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-73 के अंतर्गत निम्नानुसार राजस्व ग्राम बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है।

क्र.	प्रस्तावित मजरे टोले का नाम जिसे राजस्व ग्राम घोषित किया जाना है।	जनसंख्या	रक्खा हेक्टेयर में	दूरी गूल ग्राम से कि.मी. में	समिलित मजरे/टोलों का नाम
1	2	3	4	5	6
1	गोदोलीधुर	1007	777.936	4 कि.मी.	रौजापुरा
2	गोदोली (मूलग्राम)	468	1340.064	-	-

तहसीलदार सबलगढ द्वारा अपने प्रतिवेदन में यह भी उल्लिखित किया गया है कि ग्राम गोदोली के मजरा गोदोलीधुर को राजस्व ग्राम बनाये जाने के फलस्वरूप ग्राम का क्षेत्रफल 200 एकड़ से कम नहीं होगा।

4. तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ तथा अधीक्षक, भू-अभिलेख मुरैना के प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन अनुसार इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11.07.2014 को ग्राम गोदोली के विभाजन के सम्बन्ध में दावे/आपत्ति आमंत्रित करते हुये उद्घोषणा जारी की गई। निर्धारित समयावधि में ग्रामवासियों की ओर कोई दावे/आपत्ति प्राप्त नहीं हुये।

5. निम्न द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया एवं अधीनस्थ राजस्व अधिकारी तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ तथा अधीक्षक, भू-अभिलेख मुरैना की ओर से प्राप्त प्रतिवेदनों का भली-भाँति परिशीलन किया गया। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता उल्लिखित किया गया है) की धारा-73 में यह प्रावधान है कि बन्दोबस्त अधिकारी किसी एक ग्राम को दो या दो से अधिक ग्रामों को एक ग्राम गठित करने के प्रयोजन से समिलित कर सकेगा या दो या दो से अधिक ग्रामों को एक ग्राम गठित करने के प्रयोजन से समिलित कर सकेगा या किसी ग्राम की सीमाओं को परिवर्तित कर सकेगा। साथ ही संहिता की धारा-90 में प्रावधान किया गया है कि राजस्व सर्वेक्षण (बन्दोबस्त) समाप्त हो जाने के पश्चात् कलेक्टर धारा-73 के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी की शक्तियों को प्रयोग करेगा। संहिता की धारा 90(अ) में उल्लेख है कि मध्यप्रदेश सजपत्र दिनांक 22.01.1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 273-सी-आर-795-सात-ना(नियम) 08.01.1960 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत बन्दोबस्त की अवधि के दौरान कलेक्टर धारा-73 के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी की शक्तियों को प्रयोग में लायेगा।

MAYARAJOLA

(114) (205) (33)

अतः अधीनस्थ राजस्व अधिकारी, तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ के प्रतिवेदन एवं ग्राम पंचायत गोदोली जनपद पंचायत सबलगढ के प्रस्ताव/ठहराव के आधार पर जनहित एवं प्रशासनिक कार्यसुविधा की दृष्टि से मैं श्रीमती शिल्पा गुप्ता कलेक्टर जिला मुरैना, भू-राजस्व संहिता की धारा-90 तथा 90(अ) के तहत संहिता की धारा-73 के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी की शक्तियों को प्रयोग करते हुए ग्राम गोदोली पटवारी हल्का क्र. 04 सबलगढ को विभाजित करते हुये मजरा गोदोलीघुर को स्वतंत्र राजस्व ग्राम घोषित करती हूँ।

नथे राजस्व ग्राम गोदोली व मूल राजस्व ग्राम गोदोलीघुर के पटवारी हल्का नं. एवं ग्राम का क्षेत्रफल निम्नानुसार रहेगा:-

क्र.	घोषित ग्राम	ग्राम में समिलित मजरा	पटवारी हल्का क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	गोदोलीघुर	सैजापुरा	04	777.936
2	गोदोली (मूलग्राम)	--	04	1340.064

अधीक्षक, भू-अभिलेख मुरैना को निर्देशित किया जाता है कि नवगठित राजस्व ग्राम तथा मूल ग्राम के सर्वे क्रमांक के पुनर्क्रमांकन हेतु तथा पृथक-पृथक नवीन अधिकार अभिलेख (ROR) एवं नक्शा निर्णय के लिये आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जावे। म.प्र. शासन, राजस्व विभाग को आवश्यक प्रस्ताव प्रेषित किया जावे।



(श्रीमती शिल्पा गुप्ता)
कलेक्टर,
जिला मुरैना, (म0प्र0)

पृ.ल0 04/2013-2014/अ-3/कले.कोर्ट/1659

मुरैना, दिनांक 11.08.2015

14. 8-15-

प्रतिलिपि:-

- सचिव, म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
- आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, म.प्र. ग्वालियर।
- उपायुक्त, भू-अभिलेख, ग्वालियर क्षेत्र की ओर सूचनार्थ।
- प्रभारी अधिकारी, नजूल/भू-प्रबन्धन/आर.ए./आर.एम. कलेक्ट्रेट मुरैना/अधीक्षक भू-अभिलेख मुरैना।
- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ की ओर सूचनार्थ।
- तहसीलदार, सबलगढ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर,
जिला मुरैना, (म0प्र0)

कलेक्टर
जिला-मुरैना (म0प्र0)

न्यायालय कलेक्टर, जिला—मुरैना,(म0प्र0)

05/2013--2014/अ-3/कले.कोट । 165क
१५.८.२०१५

(आदेश पारित दिनांक 11.08.2015)

प्रभुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 11-1/2010/सात/शा.6 दिनांक 08.07.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्रमांक ए.0969 के अनुक्रम में मजरे, टोलों को राजस्व ग्राम घोषित करने बावत् निर्देश प्राप्त होने पर सम्बन्धित तहसीलदारों से प्रस्ताव प्राप्त किये गये।

2. तत्सम्बन्ध में ग्राम रहूकागांव पटवारी हल्का क्रमांक 15 तहसील सबलगढ़ के विभक्तिकरण के सम्बन्ध में तहसीलदार सबलगढ़ द्वारा अपने प्र.क्र. 190/2012-13/बी-121 द्वारा प्रस्ताव अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ के माध्यम से प्रेषित किया गया जो प्रकरण के संलग्न है।

तहसीलदार, सबलगढ़ के उक्त प्रतिवेदन से सहमत होते हुये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसीलदार, सबलगढ़ ने अपने प्रकरण क्रमांक 34/2012-13/बी-121 द्वारा ग्राम रहूकागांव के मजरा छीतरिया का सबलगढ़ ने अपने प्रतिवेदन प्राप्त किया जाने की अनुशंसा की गई है। प्रकरण में अधीक्षक, भू-अभिलेख मुरैना से भी अभिमत प्रतिवेदन प्राप्त किया गया जो प्रकरण के संलग्न है।

3. तहसीलदार, सबलगढ़ द्वारा मुताबिक पटवारी/राजस्व निरीक्षक रिपोर्ट एवं ग्राम पंचायत रहूकागांव, जनपद पंचायत सबलगढ़ के प्रस्ताव/ठहराव क्रमांक 05 दिनांक 02.10.2013 अनुसार अपने प्रतिवेदन दिनांक 04.05.2013 एवं 04.01.2014 द्वारा ग्राम रहूकागांव के मजरा छीतरिया का पुरा को म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-73 के अंतर्गत निम्नानुसार राजस्व ग्राम बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है।

क्र.	प्रस्तावित मजरे टोले का नाम जिसे राजस्व ग्राम घोषित किया जाना है।	जनसंख्या	रक्का हेक्टेयर में	दूरी मूल ग्राम से कि.मी. में	सम्मिलित मजरे/टोलों का नाम
1	2	3	4	5	6
1	छीतरिया का पुरा	785	336.63	4 कि.मी.	—
2	रहूकागांव (मूलग्राम)	633	771.37	—	—

तहसीलदार सबलगढ़ द्वारा अपने प्रतिवेदन में यह भी उल्लिखित किया गया है कि ग्राम रहूकागांव के मजरा छीतरिया का पुरा को राजस्व ग्राम बनाये जाने के फलस्वरूप ग्राम का क्षेत्रफल 200 एकड़ से कम नहीं होगा।

4. तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ तथा अधीक्षक, भू-अभिलेख मुरैना के प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन अनुसार इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11.07.2014 को ग्राम रहूकागांव के विभाजन के सम्बन्ध में दावे/आपत्ति आमंत्रित करते हुये उद्घोषणा जारी की गई। निर्धारित समयावधि में ग्रामवासियों की ओर कोई दावे/आपत्ति प्राप्त नहीं हुये।

5. मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया एवं अधीनस्थ राजस्व अधिकारी तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ तथा अधीक्षक, भू-अभिलेख मुरैना की ओर से प्राप्त प्रतिवेदनों का भली-भाँति परिशीलन किया गया। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता उल्लिखित किया गया है) की धारा-73 में यह प्रावधान है कि बन्दोवस्त अधिकारी किसी एक ग्राम को दो या दो से अधिक ग्राम गठित करने के प्रयोजन से विभाजित कर सकेगा या दो या दो से अधिक ग्रामों को एक ग्राम गठित करने के प्रयोजन से सम्मिलित कर सकेगा या किसी ग्राम की सीमाओं को परिवर्तित कर सकेगा। साथ ही संहिता की धारा-90 में प्रावधान किया गया है कि राजस्व सर्वेक्षण (बन्दोवस्त) समाप्त हो जाने के पश्चात् कलेक्टर धारा-73 के अधीन बन्दोवस्त अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करेगा। संहिता की धारा 90(अ) में उल्लेख है कि मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 22.01.1960 में प्रकाशित अधिसूचना ग्रामका 273-सो-आर-795-सात-ना(नियम) 08.01.1960 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत बन्दोवस्त की अवधि के दौरान कलेक्टर धारा-73 के अधीन बन्दोवस्त अधिकारी की शक्तियों को प्रयोग में लायेगा।



न्यायालय कलेक्टर, जिला-मुरैना (मोप०)

प्र०क्र० ०१ / २०१४-२०१५ / ३-३ / कल०.कोर्ट

(आदेश पारित दिनांक २७.१०.२०१४)

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ ११-१/२०१०/सात/शा.६ दिनांक ०८.०७.२०११ द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्रमांक ए.०९६९ के अनुक्रम में मजरे, टोलों को राजस्व ग्राम घोषित करने यात् निर्देश प्राप्त होने पर सम्बन्धित तहसीलदारों से प्रस्ताव प्राप्त किये गये।

२. तत्सम्बन्ध में ग्राम वामसोली पटवारी हल्का क्रमांक ६६ तहसील सबलगढ़ के विभक्तिकरण के सम्बन्ध में तहसीलदार सबलगढ़ द्वारा अपने प्र.क्र. १०५,१०६/२०१२-१३/बी-१२१ द्वारा प्राप्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ के साधारण से प्रेषित किया गया जो प्रकरण के संलग्न है।

तहसीलदार, सबलगढ़ के उक्त प्रतिवेदन से सहमत होते हुये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ ने अपने प्रकरण क्रमांक ३९.४०/२०१२-१३/बी-१२१ द्वारा ग्राम वामसोली के मजरा वातेड़ एवं निठारा को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने की अनुशंसा की गई है। प्रकरण में अधीक्षक, भू-अभिलेख मुरैना से भी अभिमत प्रतिवेदन प्राप्त किया गया जो प्रकरण के संलग्न है।

३. तहसीलदार, सबलगढ़ द्वारा मुताबिक पटवारी/राजस्व निरीक्षक रिपोर्ट एवं ग्राम पंचायत वामसोली, जनपद पंचायत सबलगढ़ के प्रत्येक ठहराव क्रमांक ०९ दिनांक २६.०१.२०१३ अनुसार अपने प्रतिवेदन दिनांक २६.०६.२०१३ द्वारा ग्राम वामसोली के मजरा वातेड़ एवं निठारा को म०प्र० भू-राजरव संहिता १९५९ की धारा-७३ के अंतर्गत निम्नानुसार राजस्व ग्राम बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है।

क्र.	प्रस्तावित गजरे टोले का नाम जिसे राजस्व ग्राम घोषित किया जाना है।	जनसंख्या	रकवा हेक्टेयर में	दूरी मूल ग्राम से कि.मी. में	समिलित गजरे/टोलों का नाम
१	२	३	४	५	६
१	वातेड़	७००	८४२.५१२	३ कि.मी.	-
२	निठारा	५७५	१३३३.८९२	३ कि.मी.	छोटा निठारा, भैरा, खेरा, नयांड्हेरा, खैरापुराना, चौखरियापुरा, भगवानलाल का पुरा
३	वामसोली (मूल ग्राम)	१२७२	१०३०.७८७	-	-

तहसीलदार सबलगढ़ द्वारा अपने प्रतिवेदन में यह भी उल्लिखित किया गया है कि ग्राम वामसोली के मजरा वातेड़ एवं निठारा को राजस्व ग्राम बनाये जाने के फलस्वरूप ग्राम का क्षेत्रफल २०० एकड़ से कम नहीं होगा।

४. तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ तथा अधीक्षक, भू-अभिलेख मुरैना के प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन अनुसार इस न्यायालय द्वारा दिनांक १७.१२.२०१३ को ग्राम वामसोली के विभाजन के सम्बन्ध में दावे/आपत्ति आमंत्रित करते हुये उद्घोषणा जारी की गई। निर्धारित समयावधि में दिनांक ११.१.१४ को रामदीन शर्मा मजरा नाऊडाडा ग्राम वामसोली द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की जिसका निराकरण तहसीलदार सबलगढ़ से कराया गया, उन्होंने ग्राम वामसोली के मजरा नाऊडाडा को दूरी कम होने से राजस्व ग्राम बनाने हेतु असहमति दी है।

५. मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया एवं अधीनस्थ राजस्व अधिकारी तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ तथा अधीक्षक, भू-अभिलेख मुरैना की ओर से प्राप्त प्रतिवेदनों का भली-भाँति परिशीलन किया गया। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता १९५९ (जिसे आगे संहिता उल्लिखित किया गया है) की धारा-७३ में यह प्रावधान है कि बन्दोबस्तु अधिकारी किसी एक ग्राम को दो या दो से अधिक ग्राम गठित करने के प्रयोजन से विभाजित कर सकेगा या दो या दो से अधिक ग्रामों को एक ग्राम गठित करने के प्रयोजन से समिलित कर सकेगा या किसी ग्राम की सीमाओं को परिवर्तित कर सकेगा। साथ ही संहिता की धारा-९० में प्रावधान किया गया है कि राजस्व सर्वेक्षण

MAJARA TOLA

२०१-०१-१५

१०११

11/2/1

(बन्दोबस्त) समाप्त हो जाने के पश्चात् कलेक्टर धारा-73 के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी की शवितयों का प्रयोग करेगा। संहिता की धारा 90(अ) में उल्लेख है कि मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 22.01.1960 में तहत बन्दोबस्त की अवधि के दौरान कलेक्टर धारा-73 के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी की शवितयों को प्रयोग में लायेगा।

अतः अधीनस्थ राजस्व अधिकारी, तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ के प्रतिवेदन एवं ग्राम पंचायत वागसोली, जनपद पंचायत सबलगढ़ के प्रत्याव/ठहराव के आधार पर जनहित एवं प्रशासनिक कार्यसुविधा की दृष्टि से मैं श्रीमती शिल्पा गुप्ता कलेक्टर जिला मुरैना भू-राजस्व संहिता की धारा-90 तथा 90(अ) के तहत संहिता की धारा-73 के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी की शवितयों को प्रयोग करते हुए ग्राम वामसोली, पटवारी हल्का क्र. 66 सबलगढ़ को विभाजित करते हुये मजरा वातेड एवं निठारा को स्वतंत्र राजस्व ग्राम घोषित करती हूँ।

नये राजस्व ग्राम व मूल राजस्व ग्राम के पटवारी हल्का नं. एवं ग्राम का क्षेत्रफल निम्नानुसार रहेगा:-

क्र.	घोषित ग्राम	ग्राम में सम्मिलित मजरा	पटवारी हल्का क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	वातेड	-	66	842.512
2	निठारा	छोटा निठारा, भैरा, खंडा, न्याखैरा, खैरापुराना चौखरियापुरा, भगदानलाल का पुरा	66	1333.892
3	वागसोली (मूल ग्राम)	-	66	1033.787

अधीक्षक, भू-अभिलेख मुरैना को निर्देशित किया जाता है कि नवगठित राजस्व ग्राम तथा मूल ग्राम के सर्व क्रमांक के पुनर्क्रमांकन हेतु तथा पृथक-पृथक नवीन अधिकार अभिलेख (ROR) एवं नक्शा निर्माण के लिये आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जावे। म.प्र. शासन, राजस्व विभाग को आवश्यक प्रस्ताव प्रेषित किया जावे।

(श्रीमती शिल्पा गुप्ता)
कलेक्टर,
जिला मुरैना, (मोप्र०)

पृ.क्र.001 / 2014-2015 / अ-3 / कलेक्टर / 59 / 9351 / 7
01-11-2014 55-11-216

मुरैना, दिनांक 27.10.2016

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
2. आयुवत, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, म.प्र. ग्वालियर।
3. उपायुक्त, भू-अभिलेख, ग्वालियर क्षेत्र की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी अधिकारी, नजूल/भू-प्रबन्धन/आर.ए./आर.एम. कलेक्ट्रेट मुरैना /अधीक्षक, भू-अभिलेख मुरैना
5. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़।
6. तहसीलदार, सबलगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर,
जिला मुरैना, (मोप्र०)

MAJARA TOLA